न्यायालय— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला जिला बैतूल (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>व्यव0वाद क0-06ए/2016</u> संस्था0दि0-22-02-2016 फाईलनं.233504000022016

गुलाब पिता सदाराम, उम्र ४० वर्ष, पेशा कृषि, सा० अमनी, तह० आमला, जिला बैतूल।

___<u>वादी</u>

-:: विरूद्ध ::-

- 1. धन्नू पिता सदाराम, उम्र 42 वर्ष, जाति गोंड, सा० अमनी, तह० आमला, जिला बैतूल।
- 2. श्रीमित रामकलीबाई पिता सदाराम, उम्र 35 वर्ष, पत्नि रमेश जाति गोंड, सा० सोनतलाई, तह० आमला, जिला बैतूल म०प्र०।
- मन्होरी पिता सुखराम, उम्र 60 वर्ष,
 सा० अमनी, तह० आमला, जिला बैतूल म०प्र०।
- 4. म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर, बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)

____<u> प्रतिवादीगण</u>

—:<u>आदेश</u>:— (आज दिनांक— 21/12/16 को पारित)

- 1— इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन आदेश—39, नियम—1 व 2 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2— वादी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि पाढा वल्द भागा की पैतिक भूमि मौजा घिसी प०ह०नं० 7 तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित खसरा नं. 2 रकबा 0.939 खसरा नं. 5 रकबा 1.939 कुल रकबा 2.878 भूमि है। प्रतिवादी कृं. 2 एवं 3 द्वारा षड़यंत्रपूर्ण तरीके से कलुषित भावना के तहत वादी को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से वादोक्त जमीन पर ईट निर्माण कार्य शुरू किया है तथा प्रतिवादी कृं. 3 के द्वारा अवैध तरीके से वादी के खानदान का व्यक्ति बताते हुये अपना एकल नाम राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर दर्ज करवा लिया गया है जिसकी जानकारी

वादी को अभी हाल माह फरवरी 2016 में नकल निकालने पर प्राप्त हुई है।
3— वादी ने अपने आवेदन में बताया है कि उक्त प्रतिवादीगण को अवैध तरीके से कृषि भूमि पर ईट निर्माण करने से नहीं रोका गया तो वादी की भूमि बंजर हो जायेगी और कृषि के उपयोग की नहीं रहेगी। साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा वादोक्त भूमि को अवैध तरीके से विक्रय करने की धमकी भी दी जा रही है। यदि वे इन कार्यो में सफल हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई कदापि नहीं हो सकती जिसके लिये यह अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत है। इस प्रकार वादी ने विवादित भूमि पर निर्माण न करें और किसी को हस्तांतरित न करें अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी कुं. 1 ने वादी के आवेदन का जवाब पेश कर विरोध प्रगट कर अपने जवाब में व्यक्त किया है कि वादोक्त भूमि प्रतिवादी कं. 1 की पैतृक कृषि भूमि है। इस भूमि पर वादी और प्रतिवादी का बराबर-बराबर का हिस्सा है और वर्तमान में मौखिक बटवांरे के आधार पर वादी और प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर काबिल काबिज होकर कास्त करते है। उक्त कृषि भूमि पर वादी केवल अपना एक मात्र स्वामित्व चाहता है और ऐन केन प्रकरण प्रतिवादी कं. 1 का नाम कटवाकर केवल वादी अपना अकेले का नाम दर्ज करवाना चाहता है। वादी कभी प्रतिवादी कं. 1 से कभी भी कोई बात नहीं करता है और प्रतिवादी कं. 1 ने प्रतिवादी कं. 3 के साथ मिलकर कभी भी कोई जान माल की धमकी नहीं दी है। वादी प्रतिवादी कं 1 का सगा भाई है। वह दोनों भाई के बीच जमीन को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ है और प्रतिवादी कं. 3 ने अपना नाम राजस्व अभिलेख में कब दर्ज करवाया इसकी जानकारी भी वादी के वाद पत्र के पेश करने पर ही पता चला है। वादी ने प्रतिवादी कूं. 1 को परेशान करने की नियत से वाद दायर किया है। वादी प्रतिवादी ने अपने अपने हिस्से में बोर करवा लिया है और सरकार द्वारा कुंआ खोदने 93 हजार रूपये शासन के तरफ से भी दिया गया। उक्त आधारों पर वादी का आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

5— प्रतिवादी कं. 3 ने वादी के आवेदन का जवाब पेश कर विरोध प्रगट कर अपने जवाब में व्यक्त किया है कि वादी ने मिथ्या आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया है जिसे प्रतिवादी मनोहरी अस्वीकार करते है। प्रतिवादी मनोहरी उसके हक हिस्से व स्वामित्व आधिपत्य की भूमि पर अपने व परिवार के विकास के लिये भूमि का उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है मनोहरी ने किसी भी प्रकार से किसी अधिकारी से कोई मिलीभगत नहीं की। वादी द्वारा मिथ्या आरोप लगाये गये है। प्रतिवादी मनोहरी अपनी भूमि का उपयोग कर रहा है। वादी ने ऐसे कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये है जो आवेदन का समर्थन करते हो। वादग्रस्त भूमि की कोई ऐसा कोई दस्तावेज की वादोक्त भूमि पर ईट बनाने का कार्य चल रहा हो। ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अनुश्रुत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल

तत्वों का अभाव है।

प्रतिवादी कृं. 3 ने अपने अतिरिक्त कथन में बताया है कि वादी की ओर प्रतिवादी को परेशान करने के लिए यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। दिनांक 06/07/1988 को धन्नु गुलाबसिंह, मनोहरी, सुखराम इन सभी ने मिलकर आपसी सहमति से इस दिनांक के पांच वर्ष पूर्व मौके पर मेढबंधी कायम कर आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया था और इनके पिता सदाराम के हस्ताक्षर संशोधन पंजी पर उपलब्ध है। तत्समय हुये बटवारे के अनुसार खसरा नं. 5 में से बटवारे अनुसार धन्नू पिता सदराम, गूलाब वल्द सदाराम, को खसरा नं. 5/1 रकबा 1.437 हेक्टे. लगान 0. 55 भूमि मौके पर अपासी सहमति से बटवारे एवं मेढबंधी कर कब्जे के अनुसार भूमि प्राप्त हुई इसी तरह से खसरा 5/2 रकबा 0.502, खसरा नं. 2 कुल रकबा 0.934 इस तरह कुल 1.441 हेक्टे. भूमि प्रतिवादी मनोहरी को प्राप्त हुई। दोनों पक्षों का आपसी सहमति से बटवांरा हुआ था। इस तथ्य की जानकारी वादी गुलाब को है। इसके उपरांत भी वादी द्वारा प्रतिवादी मनोहरी को परेशान करने के लिये यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी की मंशा प्रतिवादी को परेशान करने की है। ऐसी स्थिति आवेदन निरस्ती योग्य है। पिता की मृत्यु के पूर्व से ही प्रतिवादी का वादोक्त भूमि पर कब्जा है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जावे। दस्तावेजी साक्ष्य को भी यदि आधार मान लिया जाये वर्ष 1987–88 की संशोधन पंजी के पांच वर्ष पूर्व से ही प्रतिवादी मनोहरी का कब्जा है अर्थात् 1982 से 2016 तक लगभग 33 वर्ष हो चुके है हांलिक प्रतिवादी मनोहरी ने जब से होश संभाला है तब से ही वादोक्त भूमि पर काबिज कास्तकार है। उक्त आधारों पर वादी का आवेदन सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

- 7— दिनांक 20/06/16 को प्रतिवादी कं. 2 एकपक्षीय किया गया है। 8— अस्थाई निषेधाज्ञा के निराकरण के आवेदन में निम्नलिखित 3 बिन्दु मुख्य रूप से विचारणीय है:—
 - 1. क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है ?
 - 2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
 - क्या यदि वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान न की गई तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी?

प्रथम दृष्टया मामला

9— वादी ने प्रतिवादी कं. 1, 2 व 3 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया है कि विवादित भूमि पर अवैध तरीके से ईंट का निर्माण न करें और किसी को हस्तांरित न करें। उक्त आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा के निराकरण के लिए सर्वप्रथम यह देखा जाना होगा कि क्या वादी के हित व कब्जे की भूमि पर अवैध तरीके से ईट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वादी ने अपने आवेदन में बताया है कि विवादित भूमि ग्राम घिसी प0ह0नं. 7 तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित भूमि खसरा नं. 2 रकबा 0.939 खसरा नं. 5 रकबा 1.939 कूल रकबा 2.878 हेक्टे0 भूमि पाढा वल्द भागा की कृषि भूमि है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी कं 2 व 3 के द्वारा षडयंत्र पूर्वक तरीके कलुषित भावना से नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से ईंट निर्माण का कार्य शुरू किया है। इसके विपरित प्रतिवादी कुं 1 ने जवाब पेश कर अपने विशेष कथन में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि प्रतिवादी कं 1 की पैतृक कृषि भूमि है। इस पर वादी एवं प्रतिवादी का बराबर का हिस्सा है। वर्तमान में मौखिक बटवारे के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर कास्त करते है। उसी प्रकार प्रतिवादी कुं 3 ने अपने अतिरिक्त कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 06/07/1988 को धन्नु, गुलाब, मनोहरी, सुखराम इन सभी ने मिलकर आपसी सहमति से इस दिनांक के के 5 वर्ष पूर्व मौके पर मेढ़बंधी कायम कर आपसी सहमति से बटवांरा करा लिया था उनके पिता सदाराम के हस्ताक्षर संशोधन पंजी पर है। इस प्रकार वादी के आवेदन और जवाब से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर आपसी सहमति से विभाजन होकर पृथक-पृथक अपने हिस्से पर काबिज कास्त है।

11— वादी ने अपने समर्थन में अधिकारी अभिलेख 1971—72 का प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा नं. 2 रकबा 2.3/0.939 खसरा नं. 5 रकबा 4.72/1.939 कुल रकबा 7.11/2.878 पाढ़ा वल्द भागा का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। ऋण पुस्तिका वर्ष 1965 की प्रस्तुत की है जिसमें खसरा नं 2 रकबा 0.939 खसरा नं. 5 रकबा 1.939 कुल रकबा 2.878 हेक्टे. भूमि का उल्लेख है। किस्तबंदी खतौनी वर्ष 2015—16 प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा नं. 2 रकबा 0.939 और खसरा नं. 5 रकबा 0.502 कुल रकबा 1.441 हे0 भूमि मनोहरी वल्द सुखराम का नाम भूमि के रूप में उल्लेख है।

12— प्रतिवादी कृं. 3 ने संशोधन पंजी वर्ष 1987—88 की प्रस्तुत की है जिसमें खसरा नं. 5/1 में से 1.437 आवेदन पत्र के अनुसार आपसी विभाजन 5 वर्ष पूर्व से अलग—अलग कास्त करते है तथा मौके पर मेढ कायम होने के कारण तथा सभी की सहमित से मनोहरी को आपसी में देने के कारण और धन्नु वल्द सदाराम गुलाब वल्द सदाराम का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। उसी प्रकार खसरा वर्ष 2015—16 का प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा 2 रकबा 0.939 खसरा नं. 5/2 रकबा 0.502 हे0 भूमि मनोहरी का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। उसी प्रकार खसरा नं. 2 रकबा 0.939 में से खसरा नं. 5/2 में से रकबा 0.502 कुल रकबा 1.441 धन्नु व सदाराम, मनोहरी उपस्थित भूमि अलग—अलग कास्त करते है, स्पष्ट रूप से उल्लेख है जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपसी सहमित से वादी एवं प्रतिवादी कृं. 1 एवं 3 के मध्य आपसी विभाजन हो चुका है और अलग—अलग मेढबंधी

कायम है और अलग-अलग काबिज होकर कास्त कर रहें है।

13— प्रतिवादी कं. 1 ने ऋण पुस्तिका की फोटोकापी प्रस्तुत की है जिसमें खसरा नं. 5/1 रकबा 1.437 धन्नू और गुलाबसिंह का नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। खसरा वर्ष 2014—15 प्रस्तुत किया है जिसमें जिसमें खसरा नं. 5/1 रकबा 1.437 धन्नु और गुलाबसिंह पिता सदाराम का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है।

14— इस प्रकार वादी गुलाबिसंह एवं प्रतिवादी कं 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि मूल पुरूष पाढ़ा जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज है जिसकी भूमि है जिन्हें उत्तराधिकारी में वादी एवं प्रतिवादी कं 1 व 3 को प्राप्त हुई है और संशोधन पंजी वर्ष 1987—88 एवं खसरा वर्ष 2013—14, खसरा वर्ष 2015—16 के दस्तावेजों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का बंटवारा हो चुका है जिसमें प्रतिवादी कं 3 पृथक काबिज होकर कास्त कर रहा है उक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं है कि वादी को प्राप्त भूमि पर प्रतिवादी कं 3 के द्वारा वादी के हित व कब्जे की भूमि पर ईट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वादी ने ऐसे कोई दस्तोवज भी प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रतिवादी कं. 2 व 3 के द्वारा वादी के स्वत्व व कब्जे भूमि पर अवैध तरीके से ईट का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

15— जहां तक वादी को विभाजन के पश्चात् प्राप्त भूमि खसरा नं. 5/1 में से रकबा 1.437 प्रतिवादी कं 1 का नाम संयुक्त रूप से दर्ज है तो वह उक्त भूमि पर ही हित व कब्जा खसरा वर्ष 2014—15 से स्पष्ट होता है और दोनों का संयुक्त कब्जा माना जा सकता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रमाणित माना जाता है।

सुविधा का संतूलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदू

16— विचारणीय प्रश्न कं 1 से यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित भूमि पाढा वल्द भागा की पैतिक भूमि मौजा घिसी प०ह०नं० 7 तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित खसरा नं. 2 रकबा 0.939 खसरा नं. 5 रकबा 1.939 कुल रकबा 2.878 भूमि का संशोधन पंजी वर्ष 1987—88 के अनुसार उक्त भूमि का आपसी सहमति से बटवांरा हो चुका है और बटवांरे में खसरा नं. 5/1 में रकबा 1.437 वादी एवं प्रतिवादी कं 1 को प्राप्त हुई है। उक्त भूमि पर यदि प्रतिवादी कं 1 व 3 के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो स्वभाविक ही वादी को अपूर्णीय क्षति व असुविधा होगी। जिसकी पूर्ति धन से नहीं की जा सकती। इस प्रकार सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी वादी एवं प्रतिवादी कं. 1 को प्राप्त भूमि पर ही के पक्ष में निराकृत किया जाता है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

17— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा

का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षिति का बिंदू भी आंशिक रूप से प्रमाणित किया गया है। अतः प्रतिवादीगण विवादित भूमि खसरा नं. 5/1 में रकबा 1.437 है0 भूमि पर अवैध रूप से ईट का निर्माण न करें और ना ही हस्तांतरित करें। ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुडोपा) सिविल न्यायाधीश वर्ग—2 आमला जिला बैतूल म.प्र. (धनकुमार कुडोपा) सिविल न्यायाधीश वर्ग—2 आमला जिला बैतूल म.प्र.